


समाहरणालय, सहरसा
(जिला सामान्य शाखा)

आज दिनांक 15.07.2017 के 4.00 बजे अपराह्न में जिलाधिकारी-सह- अध्यक्ष, सहरसा की अध्यक्षता में स्वैच्छिक सेवा निवृत्त चौकीदार/दफादार के नामित आश्रितों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथा उपस्थिति पंजी के अनुसार।
कार्यवाही -

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, -सह-अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रमारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, सहरसा द्वारा अद्यतन सभी विभागीय निदेश पढकर सुनाया गया। समिति के समक्ष स्वैच्छिक सेवा निवृत्त चौकीदार/दफादार के नामित आश्रितों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त 05 (पांच) मामलों को विचारार्थ उपस्थापित किया गया। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी। जाँचोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिये गये -


क्र०	आवेदक का नाम	पिता का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक 15.07.2017 को समिति की बैठक में लिया गया निर्णय।
01	02	03	04
1	श्री नितेश कुमार पासवान	श्री अमीन पासवान पूर्व चौकीदार घाट सं०-1/11 अंचल सोनवर्षा	गृह विभागीय निदेश के अनुसार आवेदक द्वारा अपने सेवा निवृत्ति की तिथि 30.11.2015 से एक माह पूर्व दिनांक - 31.10.2015 को स्वैच्छिक तथा निवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के नामित आश्रित (श्री नितेश कुमार पासवान) को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थापित सभी यथा-वांछित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मियों के नियुक्ति की वैधता प्रमाण पत्र सरकारी कर्मियों के परिवार के अनियोजन/ चरित्र/पारिवारिक सूची आदि प्रमाण पत्रों तथा परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक के शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
2	श्री अरूण कुमार पासवान	श्री बबुअन पासवान पूर्व चौकीदार घाट सं०-2/9 अंचल कहना	गृह विभागीय निदेश के अनुसार आवेदक द्वारा अपने सेवा निवृत्ति की तिथि 30.11.2015 से एक माह पूर्व दिनांक - 31.10.2015 को स्वैच्छिक तथा निवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के नामित आश्रित (श्री अरूण कुमार पासवान) को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थापित सभी यथा-वांछित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मियों के नियुक्ति की वैधता प्रमाण पत्र सरकारी कर्मियों के परिवार के अनियोजन/ चरित्र/आय/आवास/पारिवारिक सूची आदि प्रमाण पत्रों तथा परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक के शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।



3	मो० शमीम अख्तर अली	मो० उसमान पूर्व दफादार अंचल कहरा	गृह विभागीय निदेश के अनुसार आवेदक द्वारा अपने सेवा निवृत्ति की तिथि 31.12.2016 से एक माह पूर्व दिनांक - 30.11.2016 को स्वैच्छिक तथा निवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के नामित आश्रित (मो० शमीम अख्तर अली) को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थापित सभी यथा-वांछित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मी के नियुक्ति की वैधता प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मी के परिवार के अनियोजन/ चरित्र/आय/आवास/पारिवारिक सूची आदि प्रमाण पत्रों तथा परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक के शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
4	श्री पवन पासवान	श्री योगेन्द्र पासवान पूर्व चौकीदार बीट सं०-7/9 अंचल बनमा ईटहरी	गृह विभागीय निदेश के अनुसार आवेदक द्वारा अपने सेवा निवृत्ति की तिथि 30.06.2016 से एक माह पूर्व दिनांक - 31.05.2016 को स्वैच्छिक तथा निवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के नामित आश्रित (श्री पवन पासवान) को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थापित सभी यथा-वांछित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मी के नियुक्ति की वैधता प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मी के परिवार के अनियोजन/ चरित्र/आय/आवास/पारिवारिक सूची आदि प्रमाण पत्रों तथा परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक के शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
5	श्री राकेश कुमार	श्री जय प्रकाश यादव पूर्व दफादार अंचल बनमा ईटहरी	गृह विभागीय निदेश के अनुसार आवेदक द्वारा अपने सेवा निवृत्ति की तिथि 30.09.2016 से एक माह पूर्व दिनांक - 31.08.2016 को स्वैच्छिक तथा निवृत्ति हेतु आवेदन दिया गया है। उनके स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति के नामित आश्रित (श्री राकेश कुमार) को चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु उपस्थापित सभी यथा-वांछित कागजात/प्रमाण पत्रों यथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त कर्मी के नियुक्ति की वैधता प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मी के परिवार के अनियोजन/ चरित्र/आय/आवास/पारिवारिक सूची आदि प्रमाण पत्रों तथा परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक के शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया गया। समीक्षोपरांत समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक को समूह 'घ' चौकीदार के पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त अनुशंसित आवेदकों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नांकित तथ्यों पर संतुष्ट हो लेंगे -

1. आवेदक द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र इत्यादि का सत्यापन कराने के उपरांत ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।
2. आवेदक/आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है तथा उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है। जिसमें उन्हें मृत्यु दंड अथवा कारावास की सजा होने की संभावना है अथवा वाद के निस्तार होने पर आवेदक/आवेदिका को छः माह अथवा अधिक दंड दिया जा सकता है।
3. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र भविष्य में अगर गलत पाया जाता है तो संबंधित आवेदक/आवेदिका की नौकरी समाप्त कर दी जायेगी तथा उनके द्वारा प्राप्त वेतनादि की वसूली की जायेगी साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।



4. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पत्र पानेवाले आवेदक/आवेदिका यदि स्वैच्छिक सेवा निवृत्त चौकीदार/दफादार के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो उनकी नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक से प्राप्त कर लेंगे।
5. नियुक्ति पानेवाले आवेदक/आवेदिका से उनकी सम्पत्ति का व्यौरा भी प्राप्त कर लिया जाय।
6. नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया जाय कि नियुक्ति पानेवाले आवेदक/आवेदिका को पुनर्विवाह नहीं करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा यदि पति/पत्नी की मृत्यु हो जाय तो विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही पुनर्विवाह कर सकेंगे।
7. नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि नियुक्ति होनेवाले कर्मचारी विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे और यदि विवाहित हो तो विवाह में दहेज नहीं लिया है।
8. नियुक्ति से पूर्व संबंधित आवेदक/आवेदिका असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
9. नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ति हेतु संगत प्रावधानों के आलोक में आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात/प्रमाण पत्र का जाँच/सत्यापन अपने स्तर से करने के उपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।

15/7/17
जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सहरसा

15/7/17
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सहरसा

15/7/17
अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर सहरसा

15/7/17
अनुमंडल पदाधिकारी,
सिमरी बख्तियारपुर

15/7/17
उप विकास आयुक्त,
सहरसा

15/7/17
पुलिस अधीक्षक,
सहरसा

15/7/17
जिलाधिकारी,
सहरसा

जापांक 1120 / सा 0,

सहरसा, दिनांक 19-07-2017.

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/17
प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा, सहरसा।

15/7/17
अपर समाहता,
सहरसा।

15/7/17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।